दिल्ली सरकार

गणेशोत्सव-2023: गणेश विसर्जन के लिए दिशा निर्देश

इस साल घर लाएँ इको फ्रेंडली गणेश

गणेशोत्सव 2023 के लिए मूर्ति विसर्जन पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देश www.dpcc.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध हैं।

गणेश जी की मूर्ति को घर पर या संबंधित जिला डीएम कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट कृत्रिम तालाब में करें।

मूर्ति पारंपरिक मिट्टी से बनी व प्राकृतिक रंगों से रंगी हुई होनी चाहिए

गणेश जी की मूर्ति को यमुना नदी या जलाशयों में विसर्जित ना करें

यमुना नदी या जलाशयों में पूजा सामग्री जैसे फूल इत्यादि ना फेंकें

DIP/Shabdarth/Display/0068/23-24

क्या करें:

- प्रार्थना में केवल पर्यावरण हितैषी पूजा सामग्री/प्राकृतिक फूल आदि का उपयोग करें।
- मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें।

क्या न करें:

- प्लास्टर ऑफ पैरिस (पी.ओ.पी.), विषाक्त /रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों का उपयोग न करें।
- सजावट में थर्मोकोल या प्लास्टिक का उपयोग न करें।

नोट : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा15 के तहत दंडनीय है, जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास और / या जुर्माना शामिल है, जिसे ₹1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर दोनों।

"आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं"

-अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार